संख्या-15/2026/294/002-78-01099-294-2022

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 17-03-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्रचार एवं प्रसार मद में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपये चार सौ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2025-26)/4440, दिनांक 09-03-2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 09-03-2026 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लेखाशीर्ष 2220-सूचना तथा प्रचार, 60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 03-व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार, 42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपये चार सौ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र) को आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) निदेशक उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रचार-प्रसार मद में ही किया जायेगा। किसी प्रकार का विचलन वित्तीय नियमों की अवहेलना मानी जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय भार के आधार पर ही किया जायेगा।

(6) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(7) उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा राशि से संबंधित आंकडों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।

(8) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(9) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 स्वयं उत्तरदायी होगा

(11) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/नियमों/ शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2220608000300 व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
नेहा जैन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

6- संयुक्त निदेशक उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4

10- वित्तर (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

11- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।